मुन्तकिली प्रकरण सं0 61/2017 अनवानी 1–लच्छीराम पुत्र हेतराम 2–मोहनलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 23 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ बनाम 1–हेतराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 23 रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ 2–सुभाष 3–राजेन्द्र 4–विनोद कुमार 5–तहसीलदार सादुलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

11.10.2017

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री सतपाल गुप्ता उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के अभिभाषकगण का कथन है कि उपजिला कलक्टर सादुलशहर के न्यायालय में लंबित वाद अनवानी लच्छीराम वगैरा बनाम हेतराम वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए मय प्रा0 पत्र 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अब चूंकि पीठासीन अधिकारी श्री भंवर लाल कासोटिया, उपजिला कलक्टर सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। यदि उनका यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र पर इसी आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपति है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपजिला कलक्टर सादुलशहर के न्यायालय में लंबित वाद अनवानी लच्छीराम वगैरा बनाम हेतराम वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए मय प्रा0 पत्र 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपजिला कलक्टर, सादुलशहर श्री भंवरलाल कासोटिया का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपजिला कलक्टर, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1863
23-10-17

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर